कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, छठा तल, जवाहर भवन, लखनऊ

संख्या–एम0ई0–3/2017/1054 लखनऊः दिनांक 05 अगस्त 2017

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (N.E.E.T.) 2017 की द्वितीय चक्र की ऑनलाईन काउंसिलिंग हेतु ऑनलाईन पंजीकरण, अभिलेखों के सत्यापन, च्वाईस फिलिंग तथा प्रवेश आदि के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना

शासनादेश संख्या–2823/71–2–17–158/2017 दिनांक 02 अगस्त 2017 में निहित निर्देशों के क्रम में NEET-2017 के माध्यम से चयनित छात्रों के शैक्षणिक सत्र 2017–18 में उत्तर प्रदेश राज्य की एम0बी0बी0एस0 एवं बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम की सीटों पर द्वितीय चक्र की ऑनलाईन काउंसिलिंग तथा माप–अप राउण्ड आवंटन तथा प्रवेश आदि की कार्यवाही निम्नानुसार सम्पन्न की जाएगीः–

क्र0सं0	विवरण	अवधि
1	आनलाईन पुनः पंजीकरण	दिनांक 06 से 10 अगस्त 2017 तक
2	द्वितीय काउंसिलिंग हेतु अभिलेखों का सत्यापन	दिनांक 09 अगस्त 2017 से 12 अगस्त 2017 तक
3	मेरिट सूची का प्रकाशन	दिनांक 13 अगस्त 2017
4	दिव्यांग छात्रों हेतु मेडिकल बोर्ड का गठन	दिनांक 08 से 10 अगस्त 2017 तक
5	द्वितीय चक्र की च्वाईस फिलिंग	दिनांक 18 अगस्त 2017
6	परिणाम की घोषणा	19 अगस्त 2017
7	आवंटन पत्र डाउनलोड करने तथा प्रवेश की तिथि	दिनांक 20 एवं 21 अगस्त 2017
8	माप–अप राउण्ड हेतु आनलाईन पंजीकरण	दिनांक 23 अगस्त 2017
9	मेरिट सूची का प्रकाशन	दिनांक 24 अगस्त 2017
10	राजकीय सीटों हेतु मॉप अप राउण्ड आवंटन की कार्यवाही एवं प्रवेश	दिनांक 25 अगस्त 2017
11	निजी क्षेत्र की एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम की सीटों हेतु मॉप अप राउण्ड की कार्यवाही एवं प्रवेश	दिनांक 26 एवं 27 अगस्त 2017
12	निजी क्षेत्र की बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम की सीटों हेतु मॉप अप राउण्ड की कार्यवाही एवं प्रवेश	भारत सरकार द्वारा बी0डी0एस0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु जारी नवीन समय–सारिणी के अनुसार आदेश अलग से जारी किये जायेंगे।

उपरोक्त तालिका में उल्लिखित विवरण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचनायें निम्नलिखित हैः–

ऑनलाईन पंजीकरण

1. ऑनलाईन पंजीकरण, द्वितीय चक्र की च्वाईस फिलिंग तथा आवंटन पत्र डाउनलोड करने की कार्यवाही **वेबसाईट https://upneet.gov.in** पर सम्पन्न की जाएगी।
2. द्वितीय चक्र की ऑनलाईन काउंसिलिंग हेतु ऐसे अभ्यर्थी, जो पूर्व में दिनांक 05 से 08 जुलाई 2017 के मध्य ऑनलाईन पंजीकरण नहीं करा सके हैं अथवा ऐसे अभ्यर्थी, जो पूर्व में आयोजित पंजीकरण प्रक्रिया के अन्तर्गत शुल्क रू0 1000/– नहीं जमा कर सके हैं, वह उपरोक्त निर्धारित तिथियों में शुल्क रू0 1000/–_(रूपए एक हजार मात्र) ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से जमा करते हुए ऑनलाईन पंजीकरण करा सकते हैं।
3. निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों/अल्पसंख्यक संस्थानों/विश्वविद्यालयों की सीटों पर प्रवेश हेतु उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना या हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं होगा। **उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों में प्रवेश हेतु उत्तर प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के ऐसे अभ्यर्थी, जो पूर्व में अपना पंजीकरण नहीं करा सके हैं, को भी एन0आई0सी0 की वेबसाईट https://upneet.gov.in पर ऑनलाईन पंजीकरण कराना अनिवार्य है।**
4. **जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में दिनांक 05 से 08 जुलाई 2017 तक ऑनलाईन पंजीकरण कराया जा चुका हैं, उन्हे पुनः पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी।**

अभिलेखों का सत्यापन

5. उपरोक्त पंजीकृत ऐसे अभ्यर्थी, जिनके पास प्रथम चक्र की काउंसिलिंग हेतु अभिलेखों के सत्यापन के समय आरक्षित श्रेणी का उपयुक्त प्रमाण पत्र नहीं था, जिसके कारण सम्बन्धित केन्द्रों पर उनकी श्रेणी में परिवर्तन करते हुये उनके अभिलेखों का सत्यापन अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में किया गया था तथा वर्तमान में जिनके पास आरक्षित श्रेणी का उपयुक्त प्रमाण पत्र उपलब्ध हो गया है, को पुनः अभिलेखों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।

6. उपरोक्त पंजीकृत ऐसे अभ्यर्थी, जिनके पास प्रथम चक्र की काउंसिलिंग के समय मूल/सामान्य निवास प्रमाण पत्र उपयुक्त/निर्धारित प्रारूप पर नहीं था, तथा वर्तमान में जिनके पास उपरोक्त प्रमाण पत्र उपलब्ध हो गया है, को पुनः अभिलेखों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।

अभिलेखों के सत्यापन हेतु एन0आई0सी0 की वेबसाईट पर पंजीकृत अभ्यर्थी अपने अभिलेखों के सत्यापन हेतु निम्नलिखित तालिका के अनुसार उनके द्वारा चयनित केन्द्रों पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें:–

क्र0 सं0	नीट 2017 में प्राप्तांक	प्रमाण पत्र सत्यापन की तिथि
1	451 व उससे अधिक प्राप्तांक वाले पंजीकृत अभ्यर्थी	दिनांक 09.8.2017
2	321 से 450 तक प्राप्तांक वाले पंजीकृत अभ्यर्थी	दिनांक 10.8.2017
3	211 से 320 तक प्राप्तांक वाले पंजीकृत अभ्यर्थी	दिनांक 11.8.2017
4	210 से सभी अर्ह अभ्यर्थी/सभी छूटे हुए पंजीकृत अभ्यर्थी	दिनांक 12.8.2017

उपरोक्त उल्लिखित कोई अभ्यर्थी यदि निर्धारित समयावधि में अपने अभिलेखों का सत्यापन नहीं कराता है, तो वह द्वितीय चक्र की च्वाईस फिलिंग हेतु अर्ह नहीं होगा।

<u>दिव्यांग छात्रों हेतु मेडिकल बोर्ड का गठन</u>

7. दिव्यांग उपश्रेणी के ऐसे अर्ह अभ्यर्थी जो पूर्व में गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष कतिपय कारणों से उपस्थित न हो पाने के कारण प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर सके थे, दिनांक **08 से 10 अगस्त 2017 के मध्य** किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ तथा राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, मेरठ, झांसी एवं गोरखपुर में से किसी भी कालेज में उपस्थित होकर एम0सी0आई0 द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार परीक्षणोपरान्त प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। इसके उपरान्त मेडिकल बोर्ड का गठन नहीं किया जायेगा।

<u>सिक्योरिटी धनराशि</u>

8. ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हे नीट यू0जी0 2017 की प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से कोई सीट आवंटित नहीं हुई है **<u>अथवा</u>** उनके द्वारा आवंटित सीट पर प्रवेश नहीं लिया गया है, वह द्वितीय चक्र की ऑनलाईन काउंसिलिंग से पूर्व अभिलेखों के सत्यापन के समय ही राजकीय मेडिकल कालेजों की सीटों पर आवंटन हेतु सिक्योरिटी धनराशि रू0 20,000/– (रूपये बीस हजार मात्र) एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों की सीटों पर आवंटन हेतु रू0 2,00,000/– (रूपये दो लाख मात्र) का **<u>डिमाण्ड ड्राफ्ट, जो महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश के नाम से लखनऊ में देय हो, अभिलेखों के सत्यापन के समय सम्बन्धित केन्द्रों पर जमा करना अनिवार्य होगा।</u>**
9. **ऐसे अभ्यर्थी, जो प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से किसी भी राजकीय/निजी क्षेत्र के कालेजों में प्रवेशित है, उन्हे द्वितीय काउंसिलिंग में सम्मिलित होने/पुनरावंटन हेतु कोई सिक्योरिटी धनराशि जमा नहीं करनी होगी, तथा ऐसे अभ्यर्थियों को पुनः अभिलेखों को सत्यापन कराये जाने की भी आवश्यकता नहीं होगी।**
10. **ऐसे अभ्यर्थी, जो अभिलेखों का सत्यापन पूर्व में करा चुके हैं तथा उन्हे प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से कोई सीट आवंटित नहीं हुई है, उन्हे द्वितीय काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने से पूर्व उपरोक्त तालिका में निर्धारित तिथियों के अनुसार अभिलेखों के सत्यापन केन्द्र पर (जिस केन्द्र पर पूर्व में अभिलेखों का सत्यापन कराया गया था) सिक्योरिटी धनराशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा करना अनिवार्य होगा।**
11. शासनादेश दिनांक 02 अगस्त 2017 में उल्लिखित सिक्योरिटी धनराशि जमा किये जाने वाली व्यवस्था (डेबिट/क्रेडिट कार्ड/इन्टरनेट बैंकिंग तथा बैंक द्वारा RTGS) **<u>के स्थान पर</u>** द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग हेतु सिक्योरिटी के रूप में जमा की जाने वाली धनराशि राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों हेतु रू0 20,000/– (रू0 बीस हजार मात्र) अथवा निजी क्षेत्र के कालेजों हेतु रू0 2,00,000/– (रू0 दो लाख मात्र) **<u>केवल डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से ही</u>** अभिलेखों के सत्यापन के समय (निर्धारित तिथि दिनांक 09.8.2017 से 12.8.2017 तक) सम्बन्धित केन्द्रों पर जमा करना अनिवार्य होगा।
12. ऐसे अभ्यर्थी, जिनके द्वारा प्रथम काउंसिलिंग से आवंटन के पश्चात प्रवेश नहीं लिया गया है, उन्हे भी सिक्योरिटी धनराशि पुनः जमा करना अनिवार्य होगा।
13. ऐसे अभ्यर्थी, जो सिक्योरिटी धनराशि के रूप में रू0 20,000/– (रू0 बीस हजार मात्र) जमा करेंगे, उन्हे च्वाईस फिलिंग के समय मात्र राजकीय मेडिकल/डेण्टल कालेजों की सीटें ही प्रदर्शित होंगी, रू0 2,00,000/– (रू0 दो लाख मात्र) जमा करने वाले ऐसे अभ्यर्थी, जो उ0प्र0 राज्य के निवासी है, उन्हे च्वाईस फिलिंग के समय राजकीय तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों की सीटें प्रदर्शित होंगी तथा रू0 2,00,000/– (रू0 दो लाख मात्र) जमा करने वाले ऐसे अभ्यर्थी, जो उ0प्र0 राज्य के बाहर के निवासी है, उन्हे च्वाईस फिलिंग के समय मात्र निजी क्षेत्र के कालेजों की सीटें ही प्रदर्शित होंगी।

14. <u>ऐसे अभ्यर्थी, जो आवंटन के पश्चात सम्बन्धित कालेजों में प्रवेश प्राप्त नहीं करेंगे, उनकी सिक्योरिटी धनराशि जब्त कर ली जाएगी। जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवंटित सीटों पर प्रवेश प्राप्त कर लिया जायेगा, उनके द्वारा जमा की गई सिक्योरिटी धनराशि उनके शिक्षण शुल्क में सम्बन्धित कालेजों द्वारा समायोजित कर ली जाएगी।</u>

<u>च्वाईस फिलिंग</u>

15. द्वितीय चक्र की आनलाईन काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थी कालेजों का विकल्प अपनी वरीयता (Priority) के क्रम में अंकित करना सुनिश्चित करें। निजी क्षेत्र के कालेजों में प्रवेश के इच्छुक अल्पसंख्यक श्रेणी के अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वह अपना विकल्प (Choice Filling) भरते समय इच्छित कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय की अल्पसंख्यक (Minority) सीट तथा ओपेन सीट (Non-Minority/Unreserved) दोनों सीटो हेतु अपना विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं।

काउंसिलिंग के संबंध में अन्य आवश्यक सूचनाएं वेबसाईट https://upneet.gov.in तथा www.updgme.in पर प्रदर्शित की जाएंगी।

महानिदेशक